न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 109/2024 दायर दिनांक: 08.08.2024

उनवान

1. रोहित कुमार पि. रमेशचन्द जाति दांगी नि. सुवांस तहसील रायपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील रायपुर जिला झालावाड

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :–

वकील प्रार्थी :– श्री मिथलेश टेलर

अप्राथी :– पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक : 29.10.2024

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रोहित कुमार पि. रमेशचन्द जाति दांगी ग्राम सुवांस तहसील रायपुर का रहने वाला है। प्रार्थी के नाम ग्राम सुवांस तहसील रायपुर में लगानी आराजी खाता संख्या 427 ख.नं. 454 रकबा 1.0244 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम रोहित पि. रमेशचन्द अंकित है परन्तु प्रार्थी के आधार कार्ड, 10 वी की मार्कशीट तथा पेनकार्ड में वास्तविक एवं सही नाम रोहित कुमार पि. रमेशचन्द लिखा है। जिस कारण प्रार्थी को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है एवं कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि ग्राम सुवांस तहसील रायपुर की आराजी खाता संख्या 427 ख.नं. 454 रकबा 1.0244 हैक्टर कृषि भूमि में प्रार्थी का सही व शुद्ध नाम रोहित कुमार पि. रमेशचन्द दर्ज करवाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र क. भू.अ./2024/693 दिनांक 09.09.2024 को पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम राजस्व ग्राम सुवांस में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 10:37:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

जमाबंदी सं. 2072-75 के खाता सं. 427 में रोहित पि. रमेशचन्द जाति दांगी नि. सुवांस दर्ज है। प्रार्थी के दान पत्र एवं नामान्तरण सं. 1418 में रोहित पि. रमेशचन्द जाति दांगी नि. सुवांस दर्ज है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, पेनकार्ड व 10 वी की मार्कशीट में प्रार्थी का नाम रोहित कुमार पि. रमेशचन्द जाति दांगी नि. सुवांस दर्ज है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में खातेदार प्रार्थी का आधार कार्ड (447511081544), पेनकार्ड (HPOPK 8404 J), माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज. की 10 वी की मार्कशीट, नामान्तरण सं. 1418 की प्रति, रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 18.06.2024 की प्रति एवं नकल जमाबंदी खाता सं. 427 पेश किये।

4. वकील प्रार्थी एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी ग्राम सुवांस में जमाबंदी सं. 2072-75 के खाता सं. 427 के ख.नं. 454 रकबा 1.0244 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी की है जिसमें प्रार्थी का गलत नाम रोहित पि. रमेशचन्द दांगी दर्ज हो रहा है जबकि प्रार्थी का सही नाम रोहित पि. रमेशचन्द दांगी है। प्रार्थी का आधार कार्ड (447511081544), पेनकार्ड (HPOPK 8404 J), माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज. की 10 वी की मार्कशीट में सही नाम रोहित कुमार पि. रमेशचन्द दांगी अंकित है जो कि प्रस्तुत दस्तावेजों से साबित है।

5. वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान आगे कथन किया प्रार्थी का सही नाम रोहित कुमार पि. रमेशचन्द दांगी है एवं प्रार्थी के सभी दस्तोवजो में सही नाम दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड ग्राम सुवांस में जमाबंदी सं. 2072-75 के खाता सं. 427 के ख.नं. 454 रकबा 1.0244 हैक्टर कृषि भूमि में प्रार्थी का गलत नाम रोहित पि. रमेशचन्द दांगी दर्ज हो रहा है जिसके कारण प्रार्थी को भूमि का विकास करवाने व अन्य सरकारी सुख सुविधाओं, कृषि ऋण लेने व अन्य कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिसे दुरुस्त करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम सुवांस में जमाबंदी सं. 2072-75 के खाता सं. 427 के ख.नं. [illegible] 1.0244 हैक्टर कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम रोहित पि. [illegible] दांगी के [illegible] पर सही नाम रोहित कुमार पि. रमेशचन्द दांगी दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 10:37:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

Scanned with OKEN Scanner

6. पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम सुवांस में जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 427 के ख.नं. 454 रकबा 1.0244 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थी को रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 18.06.2024 से प्राप्त होकर नामा.सं. 1418 से प्रार्थी के खाते रोहित पि. रमेशचन्द दांगी के नाम दर्ज हुई है। प्रार्थी का आधार कार्ड (447511081544), पेनकार्ड (HPOPK 8404 J), माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज. की 10 वी की मार्कशीट में नाम रोहित कुमार पि. रमेशचन्द दांगी अंकित है। रिपोर्ट पटवारी में ग्रामवासियों के अनुसार प्रार्थी का सही नाम रोहित कुमार पि. रमेशचन्द दांगी बताया गया है।

7. वकील प्रार्थी एवं पैराकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत ग्राम सुवांस में जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 427 के ख.नं. 454 रकबा 1.0244 हैक्टर कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम रोहित पि. रमेशचन्द दांगी दर्ज रिकार्ड है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड (447511081544), पेनकार्ड (HPOPK 8404 J), माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज. की 10 वी की मार्कशीट में सही नाम रोहित कुमार पि. रमेशचन्द दांगी अंकित है। अतः राजस्व रिकार्ड में खातेदार के नाम अंकन में हुई त्रुटी को उभयपक्षकार की सहमति से धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम सुवांस में जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 427 के ख.नं. 454 रकबा 1.0244 हैक्टर कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम सुवांस में जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता 427 के ख.नं. 454 रकबा 1.0244 हैक्टर कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम रोहित पि. रमेशचन्द दांगी के स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 10:37:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(5)

रोहित कुमार पि. रमेशचन्द दांगी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/10/24

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
जिला झालावाड़
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 10:37:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner